(a) whether his attention has been invited to a press report which appeared in the weekly 'Blitz' dated the 29th October, 1977 under the heading 'DDA's crores down the Drain';

(b) the reaction of Government thereto; and

(c) the action taken or proposed to be taken in the matter?

THE MINISTER OF WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION (SHRI SIKANDAR BAKHT): (a) Yes, Sir.

(b) and (c). The matter is under examination and the reactions of the Government will be placed on the Table of the House after examination.

लद्दाख के ऐतिहासिक स्थान

3459. **श्रीमती पार्वती देवी** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या भारत सरकार के पुरातत्वीय विभाग का लद्दाख के आर्चा, चीलिंग, मुमदा, यंगेा मांग्यू तथा लेह चेयो जैसे ऐतिहासिक महत्व के विश्वविख्यात स्थानों को, जो समुचित रख-रखाव के अभाव में शोचनीय दशा में हैं, अपने हाथ में लेने का विचार है ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : लद्दाख में प्राचीन स्मारकों के ऐतिहासिक और पुरातत्वीय पक्ष की जांच करने के पश्चात भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने आल्ची और चीलिंग समेत लेह्ह स्मारकों को राष्ट्रीय महत्व के स्मारक घोषित करने का निर्णय कर लिया है ।

शिया डिग्री कालेज, लखनऊ

3460. **श्री रामलाल राही** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि, शिया डिग्री कालेज, लखनऊ को पांचवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कितनी वित्तीय सहायता प्राप्त हुई तथा यह सहायता किस प्रकार की थी और क्या यह सच है कि इस डिग्री कालेज को विदेशी सहायता भी मिलती है ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, आयोग द्वारा शिया डिग्री कालेज, लखनऊ को पांचवीं योजना के दौरान पुस्तकों तथा पत्रिकाओं, उपस्कर की खरीद, पुस्तक बैंक की स्थापना, छात्र सहायता निधि और कालेज विज्ञान सुधार कार्यक्रम के लिए 1,33,753 रुपये का भुगतान किया गया था । 1971 में कालेज के विकास के लिए राष्ट्रीय ईरानी तेल कंपनी से 38,831 रुपये की राशि की सहायता स्वीकार करने का एक प्रस्ताव मंजूर किया गया था ।

Rehabilitation of Residents of Kingsway Camp, Delhi

3461. SHRI KANWAR LAL GUPTA: Will the Minister of WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION be pleased to state:

(a) whether it is fact that all the residents of Kingsway Camp, Delhi have not been provided alternative accommodation so far;

(b) what is the problem and what steps have been taken in the last 6 months to rehabilitate them;

(c) what is the decision taken by the Government after the visit of Lt. Governor and other Officers to that area; and

(d) what are the demands of the residents of that area and to what extent Government will meet them?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION (SHRI RAM KINKAR): (a) Yes, Sir.

(b) and (c). The work of redevelopment of Kingsway Camp was transferred from Municipal Corporation to Delhi Development Authority in May 1976 and the relevant records were transferred to Delhi Development Authority in October, 1976. Certain problems relating to physical possession of land, acquisition of some more land, dismantling of existing barracks after shifting of residents to transit centres still remain to be resolved. The Delhi Administration has recently suggested that the Scheme be transferred back to the Municipal Corporation for speedy implementation. Government have not yet taken any final decision in this behalf.

(d) The families living in Outram Lines and Hudson Lines desire speedy rehabilitation. Suitable action in this behalf is under Government's consideration.

दिल्ली में विकास प्राधिकरण द्वारा अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित किए गए प्लाट

3462. **श्री राम विलास पासवान** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दिल्ली में कुल कितने फ्लैट बनाए गये हैं और उनमें से कितने अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित किये गये हैं ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री (श्री सिकन्दर बख्त) : 30-11-1977 तक दिल्ली विकास प्राधिकरण ने 33007 फ्लैटों का निर्माण किया और 31246 फ्लैटों को आवंटित किया इनमें से 4074 अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को दिए गए । 1973 से पूर्व पांच वर्गों के लिए 15 प्र० श० आरक्षण था नामत : (i) अनुसूचित जाति (ii) अनुसूचित जनजाति (iii) रक्षा कर्मचारियों की विधवाएं (iv) राजनैतिक पीड़ित और (v) भूतपूर्व सैनिक । 1973 में केवल अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों के लिए ही केवल 15 प्र०श० आरक्षण था और 1976 में इसे बढ़ाकर 25 प्र०श० कर दिया गया ।

Ministers opting to retain Private Accommodation

3463. SHRI K. RAMAMURTHY: Will the Minister of WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION be pleased to state the names of Ministers who have expressed their desire to continue to stay in their private accommodation?

THE MINISTER OF WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION (SHRI SIKANDAR BAKHT): None, Sir.

Relief to Victims of Natural Calamities on the Lines of Rail and Air Accidents

3464. SHRI B. K. NAIR: Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state:

(a) whether Government have under consideration any scheme to grant compensation and|or relief to the victims of natural calamities like cyclone, flood, drought etc. on the lines of such payments made to victims of rail and air accidents; and

(b) if so, the details thereof?